समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

उदयन मिश्रा, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
:- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- d m-katihar.bih@nic.in

—:: आदेश ::—

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–1742/आ०प्र० दिनांक–06.05.2021 के आलोक में **CFMS Order No.-568/आ०प्र० दिनांक–06.05.2021** के द्वारा वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्य बजट शीर्ष–2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0002–NA**, विपत्र कोड **39–2245021010002 (युनिट कोड–2103, आहार एवं पथ्य), मांग संख्या 39,** के अन्तर्गत **Allotment ID- 189493** द्वारा **मो० 30,00,000/– (तीस लाख) रूपये** मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। **उक्त प्राप्त आवंटन में से निम्नांकित अंचलाधिकारी, कटिहार जिला को उनके नाम के सामने पूर्व में उपावंटित राशि के अतिरिक्त वर्त्तमान में कॉलम–5 में अंकित राशि को उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।**

निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक–2430/आ०प्र० दिनांक–01.08.2019 एवं 1721/आ०प्र० दिनांक–04.05.2021 के आलोक में खाद्यान्न की आपूति इकाई मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय हेतु **बाढ़ वर्ष 2021 के दौरान राहत के लिए जिला के विभिन्न अंचल अन्तर्गत चिन्हित स्थानों पर संचालित सामुदायिक रसोई में दिन एवं रात के भोजन सामग्री एवं बच्चों के लिए दूध में हुये व्यय का भुगतान/समायोजन के निमित्त निर्गत किया जा रहा है।** उपावंटित राशि का व्यय उसी मद मे किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। निकासी के बाद व्यय की गई राशि का व्यय प्रतिवेदन बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में संबंधित भेजते हुए एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उचित माध्यम से महालेखाकार कार्यालय बिहार/विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नही रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक 15.03.2022** तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश **वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा०/अंचलाधिकारी का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	शीर्ष 2245–02–101–0002–NA, खाद्यान्न की आपूर्ति (युनिट कोड–2103, आहार एवं पथ्य) के अन्तर्गत उपावंटित राशि			अभ्युक्ति
			पूर्व	वर्त्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंचलाधिकारी, बरारी	30,00,000/-	2,00,000.00	2,00,000.00	4,00,000.00	
2.	अंचलाधिकारी, कुर्सेला		1,00,000.00	2,00,000.00	3,00,000.00	
3.	अंचलाधिकारी, मनसाही		1,00,000.00	2,00,000.00	3,00,000.00	
4.	अंचलाधिकारी, समेली		-	1,00,000.00	1,00,000.00	
5.	अंचलाधिकारी, मनिहारी		2,00,000.00	2,00,000.00	4,00,000.00	
6.	अंचलाधिकारी, अमदाबाद		2,00,000.00	4,00,000.00	6,00,000.00	
		कुल योग	**8,00,000.00**	**13,00,000.00**	**21,00,000.00**	

मो० (तेरह लाख) रूपये मात्र।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment21-22.docx

ज्ञापांक 997 /आ०प्र० II – 31/2021, दिनांक 18/08/21

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, बरारी, कुर्सेला, मनसाही, समेली, मनिहारी एवं अमदाबाद को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार एवं मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

18/8/2021

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment21-22.docx